# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICTD DEHRADUN (UK)

Preceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. /Mrs. /Miss. . S. A. Murugeshan.

Forest land under FAR, 2006 if the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Mussoorie Sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny if the documents and detailed discussions, no objection /claims were found have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Dehrachen Dated: 23/5/18

Deputy Commissioner-etim-Chairman District level committee Form-1 (For Project other than linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Dehradun

No. 402

Dated .... 23/5/18

Signature

S: A. Muxugeshan)

#### TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of 'The Ministry of Enviroment and Forest (MoEF) Government of india 's letter 11-9/98-Fc (Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidlines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Regcogination of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for Short) on the forest land proposed to be divered for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoLF issued certain relaxation in respect of non linear projects, it is certified that 0.02 Hectare of Forest land and 0.02 hectare of govt. land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Mussoorie** for for construction of STP in Arcadia Zone in Dehradun district falls within jurisdication of Nagarpalika Parishad Mussoorie.

It is the further certified that

- a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.02 Hectare of Forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Nagarpalika Parishad Mussoorie and sub Division Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 57 to 59 annexure
- b) The diversion of forest land for facilities managed by the Govenmant as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagarpalika Parishad Mussoorie.have given their consent to it.

c) The proposal does not involved recognised rights of Primitive Tribal Group and agriculture communities

Encl : as above

(full name and official seal of the District Collector

#### Form-II (For Project other than linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Dehradun

No. 402

## Dated 23/5/19

जिलाधिकारी देहरादून (.C.A. Murugeshow)

#### TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of 'The ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of india 's letter 11-9/98-Fc( Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidlines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Regcogination of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest, it is certified that 0.02 hectare of Forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Mussoorie for construction of STP in Arcadia Zone. Dehradun district falls within jurisdication of Nagarpalika parishad Mussooriei.

It is the further certified that

- The proposal for such diversion ( with full details of project and its implications in vernacular/local language) have been placed herefore such concerned Gram Sabha/Nagar Palika Mussoorie of forest-dwellers who are eligble under the FRA.
- 4. The discussion and decisions on th such proposals had taken place only when there was a quoum of minumum 50% of the members of Nagarpaika parishad Mussoorie present.
- 5. The diversion of forest land for facilities managed by the Govenmant as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagarpaika parishad Mussoorie have given their consent to it.
- 6. The rights of primitive Tribal Gruop and Pre- Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA. Encl : as above

(full name and official seal of the District Collector

56

# कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून जनपद- देहरादून

दिनांक - 23)5/18

पत्रांक 402/

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतू गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्तः-

दिनांक 23/5/18 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद-देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत विकास खण्ड़ सहसपुर में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत प्रस्तावित आरकेडिया नोटिफाईड इस्टेट में एस0टी0पी0 निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित 0.02 है0 वन भूमि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 0.02 है0 वन भूमि वन विभाग से निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभाओं एंव उपखण्ड़ समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्तारव के आधार पर प्रश्नगत् प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी मसूरी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.02 है0 वन भूमि जो कि वन विभाग के मसूरी रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी मसूरी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

जिला समाज क याण अधिकारी देहरीदन प.सं०. ५०२

प्रभागीय वनाधिकारी का रा मब्ब्रि खेनव प्रभावान ससूरी न ही

जिन्मधिकारी जिलेल्लाही कारी देहराद्न दिनांक 23/5/18

जिलाधिकारी देहरादून जिलाधिकारी देहरादून

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास रिवं निर्माण निगम मसूरी को सूचनार्थ एंव आवस्यक कार्यवाही हेतु प्रेश्वित।

57

#### कार्यालय – उप जिलाधिकारी, मसूरी। अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून।

उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत वन भूमि क्षेत्र में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत आरकेडिया नोटिफाईड इस्टेट में एस0टी0पी0 निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित 0.02 है0 वन भूमि आरक्षित वन भूमि का निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी / प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,(तहसील–मसूरी) की दिनांक...].ि0]]] के सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीय के जिन्हा में जिन्ही प्रदेश के अन्य किलाधिकारी एंव अध्यक्ष जपरवण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में

उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड साराय पंग जायपगर सागस के जन्मसास
आयोजित की गयी। बैठूक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निमननुसार है। 🛛 🔒
आयोजित को गया। बठक न गानगाव सरस्य को उपाखारी मना पुरात छो। 1. श्री श्रीमती जानगाव सरस्य जा उपाखारी मसूरी अध्यक्ष । 2. श्री श्रीमती जानसाटन विष्ट जल्ल अध्यक्ष नगरपालिका परिषद मसूरी सदस्य । 3. श्री श्रीमती जुल् जी ल वर्मा 4. श्री श्रीमती जिल् जी ल जार कार जार सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहसपुर देहरादून
2 श्री श्रीमती अन्मतामन विष्ट ठालल अध्यक्ष नगरपालिका परिषद मंसूरी सदस्य।
3 श्री / भीमती कि वि वसां
4 श्री/श्रीमती <b>दिः जारः जारा</b> सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहसपुर देहरादून
सदस्य।

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की

अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी बन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत आरकेडिया नोटिफाईड इस्टेट में एसoटीoपीo निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित 0.02 हैo वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसममति से उपखण्ड़ मसूरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित आरकेडिया नोटिफाईड इस्टेट में एस0टी0पी0 निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित 0.02 है0 वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है

उप जिलाधिक उपखण्ड ताम जाधिका समिति री। तहसील - मसूरी। जनपद - देहरादून।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहररील – मसूरी। जनपद – देहरादून

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र नगरपालिका परिषद मसूरी

### तहसील - मसूरी

### जिला - देहरादून

उत्तराखण्ड में जनपद-देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत पेयजल एव सीवरेज विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित आरकेडिया नोटिफाईड इस्टेट में एस0टी0पी0 निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित 0.02 है0 वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी / प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय दिनांक. 18 011 8... को सम्पन्न नगरपालिका परिषद मसूरी की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परयोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर क्षेत्रवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त नगरपालिका परिषद मसूरी एवं क्षेत्रवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

百万

अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् मसूरी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् मसूरी